B- 2 & 4
L- 15
Social Justice

अति संवेदनशील वर्ग : निःशक्तजन / दिव्यांग :-

दिव्यांग जन का अर्थ :-
निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर)
अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 के अनुसार- दिव्यांग व्यक्ति या विकलांग वह है जो किसी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा यथा प्रमाणित किसी विकलांगता से न्यूनतम 40 % पीड़ित है।

यह विकलांगता है जैसे- दृष्टिबाधिता

- कम दृष्टि
- श्रवणबाधिता
- चलन विकलांगता
- कुष्ठ रोग उपचारी
- मानसिक रोगी
- मानसिक मंदता

दिव्यांग-जन अधिकार अधिनियम 2016 में- दिव्यांग की परिभाषा को विस्तारित किया गया और इसमें विकलांगता के उपरोक्त सात श्रेणीयों को मिलाकर कुल 21 कर दिया गया है।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

Scanned by CamScanner

भारत में दिव्यांग जन का स्वरूप :-

- 2011 की जनगणना के अनुसार- भारत में दिव्यांग व्यक्तियों की संख्या 2.68 करोड़ है (2.21%) - जिसमें पुरुष दिव्यांग (1.50 करोड़) (56%) तथा महिला दिव्यांग (1.18 करोड़) (44%) हैं।
- दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 द्वारा दिव्यांग जनों की श्रेणी में वृद्धि के बाद वर्तमान में इनकी कुल संख्या 4 करोड़ है।

भारत में दिव्यांग जनों की समस्या :-

- शारीरिक एवं मानसिक रूप से कमजोर एवं पराश्रित।
- आर्थिक रूप से अक्षम एवं पर निर्भर (73% दिव्यांगजन श्रम शक्ति से बाहर हैं; सरकारी नौकरियों में इनकी संख्या मात्र 1% है)।
- शैक्षिक एवं राजनीतिक रूप से पिछड़े एवं बहिष्कृत (50% से अधिक दिव्यांग स्कूल नहीं जाते)।
- निम्न स्थिति, सामाजिक उपेक्षा एवं अपमान के शिकार।
- हीन भावना से ग्रसित और मानसिक तनाव

Scanned by CamScanner

एवं कुंठा के शिकार।

दिव्यांग जनों के रक्षोपाय एवं बेहतरी के लिए किए गए प्रयास

• अंतर्राष्ट्रीय प्रयास ⇒

1. 3 दिसम्बर 1981 - UN द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस घोषित।

2. 2006 - UN Convention on the right of Persons with disabilities और भारत द्वारा दिसम्बर 2006 में इस पर हस्ताक्षर।

संस्थागत प्रयास

1. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय तथा DEPD - 1998 & 2012
2. National Legal Service Authority (NALSA) 1989.
3. Rehabilition Council of India - 1986/1992
4. Chief, Commissioner for Persons with Disabilities (CCPD) - 1995
5. National Handicapped finance and Development Corporation (NHFDC) - 1997

Scanned by CamScanner

6. National Trust for welfare of Persons with Disabilities – 2000

संवैधानिक एवं वैधानिक प्रयास-

- अनु० 14, 21, 39 आदि ।
- Rehabilition Council of India Act. 1992
- The persons with Disabilities (Equal opportunities, Protection of Right and full participation) Act 1995
- National trust for welfare of persons with Disabilities Act - 1999
- Rights of persons with disabilities Act - 2016
- Mental Healthcare Act - 2017
- Supreme Court Decision on persons with Disabilities - 8 July 2024

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

Scanned by CamScanner

Rights of Persons with Disabilities Act-2016

- 28 दिसम्बर 2016 से दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम लागू जो 21 वर्ष पुराने दिव्यांग जन अधिनियम 1995 का स्थान लेगा।

प्रमुख लक्षण एवं प्रावधान

1. इस अधिनियम में 7 की जगह 21 प्रकार की अक्षमताओं को दिव्यांग की श्रेणी में डाला गया और कुछ नवीन प्रकारों को भी इसमें शामिल किया गया (धारा-2)

जैसे-

- Speech and Language Disability
- Specific Learning Disability
  [Ex. Dyslexia]
- Acid Attack Victim
- Muscular Dystrophy
- Dwarfism etc.

Scanned by CamScanner

2. दिव्यांगजनों के प्रति होने वाले प्रत्येक प्रकार का भेदभाव, क्रूरता एवं अमानवीय व्यवहार से संरक्षण का प्रावधान (धारा-3, 6 एवं 7)

3. विशेष श्रेणी के दिव्यांगजनों के लिए, सरकारी संस्थानों में आरक्षण को 3% से बढ़ाकर 4% किये जाने का प्रावधान (धारा-4)।

4. 6-18 वर्ष की आयु के दिव्यांग बच्चों को मुफ्त शिक्षा के अधिकार का प्रावधान (धारा-31) तथा उच्च शिक्षण संस्थानों में 5% आरक्षण का प्रावधान (धारा-32)।

5. इनको व्यवसायिक प्रशिक्षण रोजगार एवं स्वरोजगार को सुनिश्चित करने का प्रावधान।

6. दिव्यांगजनों के सामाजिक सुरक्षा (धारा-24) स्वास्थ्य देख-रेख (धारा-25) एवं पुनर्वास का प्रावधान (धारा-27)।

7. सुगम्य भारत अभियान के तहत लोक भवनों को समय सीमा के अन्दर दिव्यांग जनों के अनुकूल बनाने का प्रावधान (धारा-45)।

Scanned by CamScanner

(8). राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय कोष के निर्माण का प्रावधान, जिससे दिव्यांगजनों की वित्तीय सहायता सेवित होगी।

9. दिव्यांगों के प्रति किए गए अपराध एवं नए कानून का उल्लंघन एवं उनके साथ भेदभाव पर दण्ड का प्रावधान (धारा - 89 से 95)।

10. दिव्यांग जन मुख्य आयुक्त एवं दिव्यांगजन राज्य आयुक्त को दिव्यांगजनों की शिकायत निवारण एवं निपटारे की तरह काम करने और इस कानून के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी का प्रावधान (धारा 74 से 83)।

(ii) प्रत्येक जिलों में विशेष न्यायालयों के माध्यम से दिव्यांगों के अधिकारों के अतिक्रमण / उल्लंघन संबंधी मामलों का निपटारा करने का प्रावधान (धारा - 84)

समीक्षा एवं निष्कर्ष

निश्चित रूप से यह अधिनियम भारत में दिव्यांगजनों की रक्षा एवं सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है इसमें कई अन्य तरह की विकलांगताओं को शामिल

Scanned by CamScanner

किया गया है इस प्रयास से दिव्यांगों के क्षेत्र का विस्तार संभव हुआ है जिससे 40 % से ज्यादा दिव्यांगो को नौकरी, शिक्षा और सरकारी योजनाओं में आरक्षण का लाभ संभव हुआ है।

इसमें सरकारी क्षेत्र में 4 % आरक्षण से उनका सशक्तिकरण संभव हुआ है।

सरकारी के साथ-साथ निजी कम्पनियों की इमारतों में दिव्यांगो के आने-जाने हेतु विशेष साधनों के निर्माण पर बल देने से इनकी गतिशीलता एवं सार्वजनिक जीवन में इनकी सहभागिता में वृद्धि संभव हुई है।

b. परन्तु- अभी यह शुरुआत है और इस दिशा में अपेक्षित लक्ष्य की प्राप्ति तभी हो सकेगी जब कानून के पक्ष में जनमत का निर्माण करते हुए, इसको दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ लागू किया जाएगा।

- 25 जनवरी 2019 को, सुप्रीम कोर्ट को, सभी राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों को निर्देश देना पड़ा कि- वो 3 माह के भीतर दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 को लागू करे, (परन्तु अभी भी पूरी तरह लागू नहीं हो पाया है।

Scanned by CamScanner

• पुनः 22 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों में इस अधिनियम के अपर्याप्त क्रियान्वयन को निराशाजनक कहा और राज्यों को 'दिव्यांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त' की नियुक्ति करने का निर्देश दिया।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

Scanned by CamScanner